S.D. Sukla
(Advocate)
(M.A. LL.B.)
Civil Court Waidhan
Distt-Sidhi (M.P.)

Residence
Near Police Station
Waidhan Distt. Sidhi (M.P.)

Contact for : Civil, Criminal, Accidental, Sales Tax, Other Cases & Leagal Advisior

Ref No. 91ad/16 Date 27-1-16

नोटिस मियादी 30 दिवस

प्रति,

नीरज कुमार गुप्ता पिता कुन्नीलाल गुप्ता,
मकान नं0 163 हरिनगर, बाजार,
जिला- सिंगरौली [म0प्र0]

द्वारा :- देवेन्द्र पाण्डेय संवाददाता
न्यूज-24 जिला सिंगरौली, वरिष्ठ अधिवक्ता ।

महोदय,

मैं अपने पक्षकार देवेन्द्र पाण्डेय की ओर से अधिवक्ता अधिकृत होकर उनके द्वारा बताए गए तथ्यों व प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से संतुष्ट होकर आपको वरिष्ठ नोटिस सूचित करता हूँ कि :----

01:- यह कि आपके द्वारा व्हाट्सअप पर किए जा रहे प्रचार से यह स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा सिंगरौली के सी.एम.डी. ओम प्रेम जी के विरुद्ध कोई निजी कारणों से लगातार गलत को आरोप प्रकाशित कर रहे है। यह आपका व्यक्तिगत मामला होकर मेरे पक्षकार का आप दोनों के विवाद से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं है।

02:- यह कि आपके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष सिंगरौली के विरुद्ध कोई परिवाद आपके कथनानुसार प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में आपके द्वारा मेरे पक्षकार से संपर्क कर उसके समक्ष न्यूज-24 के माध्यम से उत्तर दे कर अपने इन्टरव्यू के

1/2 पर-

S.D. Sukla
(Advocate)
(M.A. LL.B.)
Civil Court Waidhan
Distt-Sidhi (M.P.)

Residence
Near Police Station
Waidhan Distt.-Sidhi (M.P.)
Mobile : 9425640902

Contact for : Civil, Criminal, Accidental, Sales Tax, Other Cases & Leagal Advisior

Ref No ________ Date 27.9.16

समय बताने का आग्रह किया गया था जिस पर मेरे पक्षकार ने सहमति दी और पता कर फिर न्यूज प्रकाशन का आपको आश्वासन दिया था।

03:- यह कि आपके बताने पर स्पष्ट हुआ कि आपके द्वारा दायर परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जिस पर निर्णय आने से पूर्व बिना किसी उचित सबूत के न्यूज का प्रकाशन नहीं हो सकता तथा मेरे पक्षकार ने उक्त सूचना आपको भी दिया कि न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण पर कोई टिप्पणी या न्यूज प्रकाशन नहीं करेगा तब आपके द्वारा मेरे पक्षकार को बुरा-भला कहते हुए देख लेने की धमकी दी गई।

04:- यह कि इसके उपरान्त आपके द्वारा अपने वाट्सअप एवं फेसबुक के जरिए मेरे पक्षकार को अपमानित करने वाले प्रकाशन शुरू कर दिए जिसके तहत 30जून 16 से 20 जुलाई, 16 जुलाई, 30-31 जुलाई, 05 अगस्त, 05 अगस्त आदि भिन्न-भिन्न समय पर आपके द्वारा सार्वजनिक पोस्ट कर मेरे पक्षकार पर रुपया मांगने तथा रुपया लेकर न्यूज दबाने का आरोप लगाते हुए अपनी पोस्ट मे जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो काफी अपमानजनक है। साथ ही आपके अपनी फेसबुक, वाट्सअप पोस्ट के जरिए मेरे पक्षकार का ख्याति विनिष्ट करने का कार्य करते हुए अपमानित किया है।

05:- यह कि अपनी न्यूज प्रकाशित करने के लिए आपके पास कोई अन्य साधन के बिना प्रतीत होता है कि आपके द्वारा ख्याति अर्जित एवं झूठी तारीफ व

.D. Sukla
(Advocate)
(M.A., LL.B.)
l Court Waidhan
Distt-Sidhi (M.P.)

Residence
Near Police Station
Waidhan Distt.-Sidhi (M.P.)
Mobile : [illegible]

Contact for : Civil, Criminal, Accidental, Sales Tax, Other Cases & Leagal Advisior

To ______________ Date ______________

11311

प्रकाशित करने के उद्देश्य से मेरे पक्षकार को बिना किसी सबूत के अपनी न्यूज प्रकाशित करने के लिए प्रेरित कर रहे थे।

06:- यह कि आपके द्वारा मेरे पक्षकार के विरुद्ध छवि धूमिल प्रभावित करने के उद्देश्य से कई अपमानजनक शब्द प्रकाशित किया गया है जो विधान के अनुसार दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। साथ ही बिना किसी सबूत के आपके द्वारा मेरे पक्षकार पर न्यूज प्रकाशन के लिए रुपया मांगने का भी आरोप लगाया गया है जो आपकी दूषित मानसिकता व झूठी वाहवाही प्राप्त कर अपने को [illegible] करने का एक कुत्सित प्रयास मात्र है।

अतः आपको ओर से नोटिस प्रेषित कर आपको आगाह किया जाता है कि आप उन प्रकाशित किए गए खबरों का खण्डन कर मेरे पक्षकार से क्षमा याचना करे तथा इसकी सूचना मुझे भी देवे, अन्यथा दशा मे आपके विरुद्ध सक्षम न्यायालय मे आपराधिक परिवाद प्रस्तुत किया जावेगा जिसके समस्त हर्जे खर्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी।

भवदीय

नोट- नोटिस की एक प्रति वास्ते कार्यवाही मेरे कार्यालय मे सुरक्षित है।

(डी. शुक्ला) एडवोकेट
सिविल न्यायालय - वैढन
जिला सिंगरौली (म.प्र.)
27-9.16